न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 355 / 2018 (417 / 2006)
दायर दिनांक :– 24.07.2006

अनवान

1. श्रीमति अनोप देवी पत्नि लादूलाल व्यास (शर्मा) नि. उँचा तहसील जहाजपुर
2. मन्जू पुत्री लादुलाल व्यास (शर्मा) नि. उँचा हाल पत्नि गोपाल शर्मा नि. सताणा तहसील विजयनगर

वादीगण.....

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता जानकी लाल शर्मा (व्यास) नि. श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ
2. कान्ता पुत्री लादु लाल शर्मा (व्यास) नि. उँचा हाल पत्नि रघुनंदन शर्मा नि. नाहर का चोहट्टा बुन्दी जिला बुन्दी
2. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 63, 92 ए, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री अमित कुमार बिडला, वकील वादीगण
2. श्री शंकर लाल मण्डोवरा, वकील प्रतिवादीगण
3. श्री छीतर लाल रेगर, वकील प्रतिवादीगण

:: निर्णय :: दिनांक 10.12.2019

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम उँचा प. ह. उँचा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 291 रकबा 02.16 बीघा, आ.न 292 रकबा 0.02 बीघा, आ.न. 1067 रकबा 05.13 बीघा, आ.न 1070 रकबा 20.02 बीघा कुल किता 4 रकबा 28.13 बीघा वर्तमान में यह भूमि राजस्व अभिलेखो में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हैं। पैरा सं. 1 में वर्णित आराजियात पूर्व में कालू उर्फ काल्या पिता सोदास ब्राहमण के नाम बहेसियत खातेदार काश्तकार दर्ज थी। खातेदार कालू के कोई सन्तान नही होने से खातेदार कालू ने वादीया सं. 1 के पति व वादिया सं. 2 व प्रतिवादी सं. 2 के पिता लादूलाल को जाति समाज एव रस्मो को पूरा कर लादुलाल को गोद में बिठाकर लादूलाल को अपना गोद पुत्र बना लिया तभी से लादूलाल पुर्व में खातेदार कालू का गोद पुत्र के रूप में जाना जाता आ रहा हैं। तथा अपने जीवनकाल में कालू की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति पर मालिक काबिज चला आ रहा था। पैरा सं. 1 में वर्णित आराजियात सेटलमेन्ट से पूर्व कालू उर्फ काल्या पिता सोदास के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। सेटलमेन्ट से पूर्व पेरा सं. 1 में वर्णित आराजियात के नम्बर 320 रकबा 1.16 बीघा, आ.न. 321 रकबा 0.04 बीघा आ.चा. आराजी सं. 943 रकबा 1.13 बीघा, आ.सं. 939 रकबा 13.0 बीघा कुला किता 4 रकबा 16.06 बीघा अंकन जमाबन्दी समवत 2014 से 2017 में है। तत्कालीन खातेदार श्री कालू उर्फ काल्या वल्द सोदास ब्राहमण नि. उँचा की मृत्यु श्री लादु लाल जो कि उसका गोद पुत्र था ओर वादिया सं. 1 व पति तथा वादिया सं. 2 व प्रतिवादी सं 2 का पिता था के बाल्यवस्था में हो चुकी थी और श्री लादुलाल की बाल्यवस्था एवं नाबालिकी के कारण खातेदार कालू उर्फ काल्या वल्द सोदास ब्राहमण नि. उँचा की मृत्यु के पश्चात भी राजस्व रेकार्ड में भूमि कालू उर्फ काल्या के वल्द सोदास के नाम चलती रही इस की जानकारी कालू उर्फ

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

काल्या के गोदपुत्र श्री लादुलाल को हुई तो उसके एक आवेदन पत्र दिनांक 14.4.60 को संरपच ग्राम पंचायत अमरवासी के यहा पेश कर मृतक खातेदार के बजाय विरासत से खाता लादुलाल के नाम खोले जाने हेतु निवेदन किया चूकीं वर्ष 1960 में ग्राम उॅचा भी ग्राम पंचायत अमरवासी के क्षेत्र में समाहित था लादुलाल के आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत अमरवासी ने पटवारी हल्का को नामान्तरकरण खोलने हेतु पत्र लिखने का आदेश दिया इसी दौरान ग्राम अमरवासी उॅचा का सेटलमेन्ट का प्रारम्भ हो चुका था और सेटलमेन्ट के दौरान लादुलाल की नासमझी अज्ञानता का लाभ उठा प्रतिवादी सं. 1 व भुरालाल मुतबन्ना सुरजकरण ब्राहमण नि. देवली ने सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलकर कालू उर्फ काल्या वल्द सोदास ब्राहमण के नाम की कृषि भुमि जो की पैरा सं. 1 में वर्णित है को भुरा लाल ने अपने आपको सोदास का पुत्र व कालु उर्फ काल्या का भाई बताते हुये अपने नाम दर्ज करा ली और इसके पश्चात प्रतिवादी सं. 1 मांगीलाल पिता जानकी लाल ब्राहमण साकिन श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ जो कि पढा लिखा होकर सरकारी सेवा में था ने भूराराम से एक बक्षीश नामा अपने पक्ष में लिखवा उसे दिनांक 2.0.11.970 को उप पंजियक कार्यालय जहाजपुर में पंजीयन करा लिया और वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कुलिया कृषि भूमि भुखण्ड गलत तरीके से कराये गये बक्षीश नामें के आधार पर अपने नाम दर्ज करा ली जबकि काल्या उर्फ कालू के पिता सोदास ब्राहमण नि. उॅचा के नाम ही कृषि भुमियो को सेटलमेन्ट अधिकारियो से मिलकर अपने नाम दर्ज कराने का अधिकार ना तो भुरा लाल मुतबन्ना सुरजकरण को था और ना ही भुरालाल मुतबन्ना सुरजकरण जिससे अपने आपको सोदास का पुत्र बताते हुये भूमि अपने नाम दर्ज करवाई को वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात को बक्षीश करने का अधिकार था। प्रतिवादी सं. 1 मांगीलाल व लादुलाल जो कि वादिया सं. 1 का पति था का सगा बडा भाई था और वाद पत्र की पैरा सं. 1 मे वर्णित कृषि भुखण्डों एंव ग्राम उॅचा में कालु उर्फ काल्या वल्द सोदास की जायदाद को उसको कोई हक हिस्सा नही होने की वजह से उसने मिति जयेष्ढ शुक्ला दशमी शनिवार दिनांक 28.05.77 को लादुलाल के पक्ष में पॉच रूपये के स्टाम्प पर एक तहरीर इस आशय की लिखकर दी की उॅचा की जमीन कुआ घर पर लादुलाल का हक व अधिकार हैं और मांगीलाल को कोई हक व अधिकार नही होगा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा लिखी गई उक्त तहरीर से प्रतिवादी सं. 1 पूर्ण रूप से पाबन्द हैं सोदास के दो पुत्र हुये जिनमें एक भुरा राम व दुसरा कालु उर्फ काल्या हुआ श्री भुरा राम अपने बाल्याकाल में ही सुरजकरण ब्राहमण सा. देवली के यहा गोद चला गया जो बाद में शाहपुरा जाकर रहने लग गया और वहा श्रीमति जानकी बेवा जीवण राम ब्राहमण की कुलिया चल अचल सम्पत्ति का वारिस काबिल हुआ श्रीमति जानकी बेवा जीवरणराम ने भुराराम के पक्ष में वसीयत नामा दिनांक 23.09.1943 को पंजीयन महोदय शाहपुरा के यहा पंजीयन कराया इस प्रकार भुराराम का पैरा सं. 1 में वर्णित कालु उर्फ काल्या की आराजियात मे से किसी प्रकार का कोई लेना देना नही रहा और ना ही भुराराम कालु उर्फ काल्या का वारिस काबिज रहा इसके बावजुद उसने सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलकर गलत तरीके से भुमि अपने नाम दर्ज करवा ली और प्रतिवादी सं. 1 ने भुरा राम से भुमि जरिये बक्षीशनामा अपने नाम दर्ज करवा ली। प्रतिवादी सं. 1 राजस्व अभिलेख में अपना नाम होने के कारण उक्त वर्णित आराजियात को अन्य को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित कर देता है अथवा वादीगण एवं प्रतिवदी सं. 2 को भुमि के कब्जे से बेदखल कर देता है और राजस्व अभिलेख में अन्य का नाम अंकन करा देता है तो वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 पुनः भुमि पर कब्जा लेने के लिये व्यर्थ में कही मुकदमें बाजी में उलझना पडेगा वादीगण को भुमि राजस्व अभिलेखो में अपने नाम अंकन कराने के लिये अन्य लोगो से भी मुकदमे बाजी में उलझना पडेगा। पैरा सं. 1 में वर्णित आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व अभिलेखो में प्रतिवादी सं. 1 का नाम विलोपित कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 का नाम बहेसियत खातेदार काश्तकार अंकन किये जाने का आदेश प्रतिवादी सं. 3 को

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

दिलाने का व उक्त वर्णित आराजियात पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के कब्जे काश्त के किसी प्रकार की दखल प्रतिवादी सं. 1 नही करने करावे और न ही भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन वय बक्षीश अथवा अन्य क़िसी प्रकार हस्तान्तरित करे करावे और ना ही प्रतिवादी सं. 3 हस्तान्तरण के दस्तावेज को पंजीयन करे करावे और ना ही राजस्व अभिलेखो मे अन्य का नाम अंकन करें करावे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा का पत्र वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 व 3 के विरूद्व प्रदान कराये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त कर शा0 फा0 किये गये। प्रतिवादी सं. 1 की और से जवाबदावा पेश किया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाबदावा में निवेदन किया की वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भुमि मुझ प्रतिवादी के नाम पर होना स्वीकार है। एवं मे ही इस भूमि का स्वामी हो काबीज हूँ। वादीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। चरण सं. 2 आंशिक रूप से स्वीकार हो यह भुमि पूर्व में कालू उर्फ कालिया पिता सोदना ब्राहमण नि. उँचा के खाते की थी जिनकी मृत्यु हो जाने पर एव उनके कोई संतान नही होने से उनके एक मात्र उत्तराधिकारी भुरा पिता सोदान ब्राहमण के कब्जे वं स्वामित्व में आई जो उनके एक मात्र विधिक अधिकारी थे। कालू की मृत्यु सन 1954 से करीब 7 – 8 वर्ष पुर्व जब की प्रतिवादी भुरालाल के सम्पर्क में सन 1954– 66 में आया से पुर्व हो चुकी थी। खुद प्रतिवादी ने कभी कालु को नही देखा क्यो की प्रतिवादी अथवा वादीगण के इसके पुर्व भुरालाल या कालु से कोई सम्पर्क या रिश्ता नही था। सर्वप्रथम स्वंय प्रतिवादी ही भुरालाल जी की सेवा में रहा व प्रतिवादी द्वारा भुरालाल के परिवार की कई वर्षो से सेवा करने से खुश होकर जाति समाज का होने से भुरालाल जी ने मुझ प्रतिवादी के पक्ष में भुरालाल के स्वामित्व कब्जे एव खाते की वाद में वर्णित कृषि भूमि को जरिये पंजीकृत वसीयत नामें के दिनांक 2.11.1970 को अपनी सम्पुर्ण चल अचल संपति का मालिकाना हक एवं कब्जा मुझ प्रतिवादी को संभला दिया। एंव प्रतिवादी उक्त भुमि का एक मात्र स्वामी हो गया। वादिया के पति का कालूराम से कभी कोई संपर्क नही था ना ही उनके कोई दुर की रिश्तेदारी अथवा उपजाति लादुलाल जी के वंशजो से सम्बन्धित थी ना ही उन्होने कभी लादुलाल को गोद रखा था। लादुलाल का भुरालाल के परिवार से प्रथम परिचय ही प्रतिवादी के माध्यम से हुआ इससे पुर्व लादुलाल सदेव श्यामपुरा में रहा व वहां ही हमारी पैतृक सम्पत्ति की देखरेख करता था। प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में बख्शिशनामा लिखे जाने के बाद ही प्रतिवादी के निर्देश पर मुझ प्रतिवादी द्वारा वहा भेजा जाना शुरू किया गया। क्यो कि इससे पुर्व हमारे परिवार की कोई कालुराम से कोई जान पहचान नही थीं मुझ प्रतिवादी ने भी लादुलाल से बडा है कभी कालुलाल कि शक्ल नही देखी लादुलाल का कालुलाल से संपर्क में आना या गोद जाना हास्यापस्पद हैं लादुलाल को कभी मुझ प्रतिवादी द्वारा बक्शिश की गई संपत्ति की देखभाल के लिये भेजा जाता था तभी वह उँचा जाता था वादिया के पति लादुलाल व प्रतिवादी सं. 1 व दोनो सगे भाई है। लादुलाल ने वर्ष 1975 में मुझ प्रतिवादी से यह इच्छा जाहिर कि वह उँचा की जायदाद की देखभाल करना चाहता है। तो मुझ प्रतिवादी ने उसके व्यवहार वं रिश्तेदारी को देखकर यह अनुमति दे दी वह तब से ही वहा उँचा में रहकर मुझ प्रतिवादी की स्वीकृति से मुझ प्रतिवादी के स्वामित्व व कब्जे की जायदाद को रखवाले के रूप में देखता रहा है। उक्त जायदाद में कोई मालिकाना हक अथवा स्वंतत्र कब्जा प्राप्त नही हुआ है। दिनांक 28.5.77 को हमारे परिवार के सम्पत्ति बंटवारे बाबत कोई लिखा पढी नही हुई। कथित लिखतम दिनांक 28.05.77 के प्रथम पुष्ट पर मुझ प्रतिवादी के अथवा लादुलाल के कोई अंगुठा निशानी या हस्ताक्षर नही हैं। यदि उक्त लिखतम मुझ प्रतिवादी द्वारा लिखी होती तो स्वंय द्वारा लिखी जाती क्यो कि स्वंय पढा लिखा होकर ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत था उक्त कथित स्टाम्प किसी अन्य उद्देश्य के लिये

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

खरीदा गया था जिसको खाली रहने से उस पर कुट रचित दस्तावेज बंटवारा प्लैक तैयार किया गया हैं उक्त स्टॉम्प अपंजीकृत होने से साक्ष्य में ग्राहय योग्य नही है। क्यो कि यह मेमोरेण्डम नही होकर बंटवारा है। जिसका बिना पंजियन के कोई कानूनी मान्यता नही है। गोद कि क्या प्रकिया अपनाई गई गोद की प्रचलित विधि प्राचीन है अथवा ब्राहमणो में प्रचलित थी या नही एव गोदनामा पंजीकृत भी नही करवाया गया इस तरह से गोद जाने की बात सरासर झुठी एवं बेबुनियाद है। उक्त वाद पत्र में वादिया ने तथ्यो को छुपाकर मिश्रित वं अपुष्ट एवं विरोधाभाशी तथ्यों के आधार पर यह गलत दावा पेश किया है। जिससे उक्त वाद श्रीमान के श्रवणाधिकार में नही होकर दिवानी न्यायालय में सुना जाने योग्य है। लादुलाल कालुराम जी का गोदपुत्र होता तो श्यामपुरा की पुश्तैनी भूमि में भी लादुलाल के पिता का नाम जानकीलाल नही होकर कालूलाल रखा जाता। वादीयान का कब्जा विवादीत भुमि पर मुझ प्रतिवादी की सहमति से है लेकिन वादीयान के मन में गलतफहमी से कोई फितुर आ जाये एव मुझ प्रतिवादी को कब्जा न दे तो चुकी वादीयान अतिकमी की हैसियत रखता हैं इसलिये मुझ प्रतिवादी के पक्ष में वादीगण के विरूद्व कब्जा दिलाने की डिक्री सादर पारित करावे। दिवानी न्यायालय के द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा करवाये बिना वादिया का यह वाद चलने योग्य नही है। वादीगण का वाद पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जाना फरमावे। प्रार्थीगण बालकिशन पिता हरकचन्द एवं कैलाश पिता लादुराम काबरा नि. बासेडा द्वारा पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1 नियम 10 सी पी सी प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल वकील वादीगण को दी जाकर शामिल पत्राली किया गया।

वकील प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वाद को खारिज किये जाने हेतु पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 मांगीलाल सन 2010 में फोत हो चुका है। जिसके विधिक प्रतिनिधि बनाने हेतु दिनांक 04.01.2011 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तथा जिसमें मांगीलाल के वारिसान रतनी व मनोहरलाल को बताये है। रतनी व मनोहरलाल भी काफी वर्षो पुर्व फोत हो चुके है। व प्रतिवादी सं. 2 कान्ता की भी मृत्यु हो चुकी है। विधि द्वारा परिसिमित समय के भीतर कोई आवेदन मृत्तक के प्रतिनिधि को पक्षकार बनाये जाने के संबध में प्रस्तुत नही किया जाने से वाद पत्र विधितः उपशमन होकर खारिज कराने की मांग की गई।

वादीगण के वादपत्र एवं जवाबदावें के आधार पर वादपत्र में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त भूमि पुर्व में खातेदार कालू उर्फ काल्या पिता सोदास के नाम दर्ज थी ?

..... जिम्मे वादीगण

2. आया वादी काल्या का दत्तक पुत्र था परन्तु कालू की भूमि भुरालाल ने गलत रूप से व्य को कालू का भाई बताकर सेंटलमेन्ट अध्किारियां से मिलकर स्वंय के नाम करवा ली। तथा भूरा ने मांगीलाल को बख्शीसनामा कर पंजीयन करवा लिया ?

..... जिम्मे वादीगण

3. आया वादग्रस्त भुमि पर वादीगण व लादुलाल कालू के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है तथा भुराराम या मांगीलाल कभी कब्जा काश्त नही रहा ?

..... जिम्मे वादीगण

4. आया वादीगण वादग्रस्त भुमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने तथा निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है ?

..... जिम्मे वादीगण

5. आया प्र. वा. नं. दिनांक 28.05.77 को लिखी तहरीर स्टाम्प से पाबन्द है ?

..... जिम्मे वादीगण

6. आया पंजीकृत बख्शीसनामें को खारिज करवाये बिना वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते ?

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

..... जिम्मे प्रति. सं. 1

7. आया प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होकर दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है ?

..... जिम्मे प्रति. सं. 1

8. आया दि. 20.05.77 का दस्तावेज पंजीकृत नही होने से साक्ष्य में ग्रहण योग्य नही है ?

..... जिम्मे वादीगण

9. आया प्रतिवादी सं. 1 कब्जा प्राप्त करने का हकदार है ?

..... जिम्मे वादीगण

10. अनुतोष ?

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वाद पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी, नामान्तरकण की नकल, उपखण्ड अधिकारी का भुमि आंवटन आदेश की प्रति, दिनांक 28.05.77 का 5 रू. स्टाम्प पर तहरीर, नकल जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2016 की, लादुलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय की प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066 प्रस्तुत किये गये। तथा न्यायालय भु प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के निर्णय की प्रति, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय की प्रति, मांगीलाल एवं मनोहरलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र, नामान्तरकण 1580 की प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2062 से 2065 की प्रति प्रस्तुत की गई। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से वाद पत्र में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

1. इस तनकी को सिद्ध कराने की जिम्मेदारी वादीगण स्वंय की है। वादग्रस्त भूमि पुर्व में कालु उर्फ काल्या पिता सोदास के नाम दर्ज थी जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी खतौनी से होती है। जिसमें काल्या पिता सोदान से भुरालाल पिता सोदान के नाम रेकार्ड में दर्ज हुई है। वादीगण अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध कराने में सफल रहा है। जिससे तनकी न0 1 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 के निर्णित की जाती है।

2. इस तनकी को सिद्ध कराने की जिम्मेदारी वादीगण स्वंय की है। वादीगण काल्या का दत्तक पुत्र था। लेकिन इस संबध का कोई दस्तावेज या साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नही किया गया है। न ही कोई गोदनामा प्रस्तुत किया गया है जिससे यह ताईद हो सके की वादीगण काल्या का दत्तक पुत्र था। गोदनामा नही है। तथा कालू की भूमि भुरालाल ने गलत रूप से कालु का भाई बताकर सेंटलमेन्ट अधिकारियों से मिलकर स्वंय के नाम करवा ली हो इस संबध में भी कोई दस्तावेज या साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नही किये गये है। वादीगण अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध कराने में असफल रहा है। जिससे तनकी न0 2 बहक प्रतिवादी सं. 1 विरूद्ध वादीगण के निर्णित की जाती है।

3. इस तनकी को सिद्ध कराने की जिम्मेदारी वादीगण स्वंय की है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व लादुलाल कालू के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे हो इस संबध में ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित हो सके की उक्त वादग्रस्त भुमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा हो। जबकि उक्त भुमि रजिस्टर्ड बेचाननामा से वर्ष 2008 में बालकिशन पिता हरकचन्द, कैलाश पिता लादुराम काबरा नि. बासेडा द्वारा क्रय की जाकर राजस्व रेकार्ड दर्ज रेकार्ड है। तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को भी वादीगण द्वारा अब तक कोई चुनौती नही दी गई है। वादीगण अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध कराने

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

में असफल रहा है। जिससे तनकी न0 1 बहक प्रतिवादी सं. 3 विरूद्ध वादीगण के निर्णित की जाती है।

4. इस तनकी को सिद्ध कराने की जिम्मेदारी वादीगण स्वंय की है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी के संबध में दावा करने से लेकर आज तक कोई गोदनामा प्रस्तुत नही किया गया है। गोदनामा नही है। केवल रिति रिवाज से ही गोदनामा बताया है। जबकि गोदनामे के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया हैं। लेकिन गोदनामा न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है। वादीगण अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध कराने में असफल रहा है। जिससे तनकी न0 4 बहक प्रतिवादी सं. 1 विरूद्ध वादीगण के निर्णित की जाती है।

5. इस तनकी को सिद्ध कराने की जिम्मेदारी वादीगण स्वंय की है। जिसमें प्रतिवादी नं. 1 दिनांक 28.05.77 को लिखी तहरीर स्टाम्प से पाबन्द है। इस संबध में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने जवाब में बताया की दिनांक 28.5.77 को हमारे परिवार के सम्पत्ति बंटवारे बाबत कोई लिखा पढी नही हुई। कथित लिखतम दिनांक 28.05.77 के प्रथम पुष्ट पर मुझ प्रतिवादी के अथवा लादुलाल के कोई अंगुठा निशानी या हस्ताक्षर नही हैं। यदि उक्त लिखतम मुझ प्रतिवादी द्वारा लिखी होती तो स्वंय द्वारा लिखी जाती क्यो कि स्वंय पढा लिखा होकर ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत था। उक्त तहरीर पर प्रथम पृष्ठ पर लादुलाल के अंगुठा निशानी एवं हस्ताक्षर नही है। केवल मांगीलाल के हस्ताक्षर है। उक्त भुमि प्रतिवादी सं. 1 के जरिये वसीयत के खाते में आई। उक्त कथित लिखतम से वादीगंण को किसी प्रकार का कोई हक प्रदान नही करते है। क्यो कि बंटवारा केवल पुश्तैनी जायदाद का होता है। यह भुमि वादी के जरिये वसीयत से खातेदारी में आई थी। वादीगण अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध कराने में असफल रहा है। जिससे तनकी न0 5 बहक प्रतिवादी सं. 1 विरूद्ध वादीगण के निर्णित की जाती है।

6. इस तनकी को सिद्ध कराने की जिम्मेदारी प्रतिवादी सं. 1 की है। उक्त विवादित भुमि जरिये बख्शीसनामें से प्रतिवादी सं. 1 के खाते व कब्जे काश्त में आई है। पंजीकृत बख्शीसनामें को वादीगण द्वारा किसी न्यायालय में खारिज कराये जाने हेतु कोई वाद अथवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। न ही इस संबध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। प्रतिवादी सं. 1 अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध कराने में सफल रहा है। जिससे तनकी न0 6 बहक प्रतिवादी सं. 1 विरूद्ध वादीगण के निर्णित की जाती है।

7. इस तनकी को सिद्ध कराने की जिम्मेदारी प्रतिवादी सं. 1 की है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाब में बताया है की उक्त विवादित भुमि जरिये वसीयत नामा से प्रतिवादी स. 1 के खाते में आई। उक्त भुमि जरिये वसीयत प्रतिवादी सं. 1 के खाते में आने से वादीगण द्वारा उक्त वसीयत को न्यायालय से खारीज करवाने बाबत वाद संबधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। लेकिन वादीगण द्वारा उक्त वसीयत को आज तक चुनौती नही दी गई है। प्रतिवादी सं. 1 अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध कराने में सफल रहा है। जिससे तनकी न0 7 बहक प्रतिवादी सं. 1 विरूद्ध वादीगण के निर्णित की जाती है।

8. इस तनकी को सिद्ध कराने की जिम्मेदारी प्रतिवादी सं. 1 की है। दिनांक 28.05.77 का दस्तोज पंजीकृत नही होने से साक्ष्य ग्रहण योग्य नही है। सन 1970 से प्रतिवादी के पक्ष में वसीयत नामा से विवादित भूमि नाम आ गई । तब लादुलाल बालिग हो चुका था तब से लेकर उसकी मृत्यु तक लादुलाल ने यह भुमि प्रतिवादी के नाम से हटाने के लिये कोई कार्यवाही नही की। लादुलाल कभी कालुराम का गोद पुत्र नही रहा । दिनांक 28.05.77 में यह विवरण नही कि जो संपत्ति लादुलाल को दी जा रही हैं वो कालुराम के गोद पुत्र के हिस्से से प्राप्त कर रहा हैं। दिनांक 28.5.77 व 31.5.77 की कथित लिखतम से वादीगण को किसी प्रकार का कोई हक प्रदान नही करते है। बंटवारा केवल पुश्तैनी जायदाद का होता है।

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

प्रतिवादी सं. 1 अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध कराने में सफल रहा है। जिससे तनकी न0 1 बहक प्रतिवादी सं. 1 विरूद्ध वादीगण के निर्णित की जाती है।

9. इस तनकी को सिद्ध कराने की जिम्मेदारी प्रतिवादी सं. 1 की है। लेकिन उक्त विवादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड बेचाननामा से वर्ष 2008 में बालकिशन पिता हरकचन्द, कैलाश पिता लादुराम काबरा नि. बासेडा के नाम राजस्व रेकार्ड मे वर्तमान में दर्ज रेकार्ड है। तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को भी वादीगण द्वारा अब तक कोई चुनौती नही दी गई है। चुकिं उक्त विवादग्रस्त भुमि जरिये बेचाननामा से विक्रय हो चुकी है। अतः इस तनकी के निर्णय की आवश्यकता नही है।

अतः वादीगण ने अपने जिम्मे की तनकीयात को सिद्ध कराने में असफल रहने से न्यायालय वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

ब ईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

1. श्रीमति अनोप देवी पत्नि लादूलाल व्यास (शर्मा) नि. उॅचा तहसील जहाजपुर
2. मन्जू पुत्री लादुलाल व्यास (शर्मा) नि. उॅचा हाल पत्नि गोपाल शर्मा नि. सताणा तहसील विजयनगर

वादीगण..........

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता जानकी लाल शर्मा (व्यास) नि. श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ
2. कान्ता पुत्री लादु लाल शर्मा (व्यास) नि. उॅचा हाल पत्नि रघुनंदन शर्मा. नि. नाहर का चोहट्टा बुन्दी जिला बुन्दी
2. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – 88, 89, 63, 92 ए,188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 355 / 2018 (417 / 2006)

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अमित कुमार बिडला का मिनजानिब मुदई व श्री शंकर लाल मण्डोवरा एंव श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण का वाद पत्र खारीज किया जाता है पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.12.2019

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

c@rider/dikri

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.01.19 12:38:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: